न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 42/अपील/2025 (GCMS No. 2025/118)	26.08.2025	16.12.2025

1. भंवरलाल आ. गणेशलाल, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
2. सोहनलाल आ. गणेशलाल, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
3. गिरिराज आ. गणेशलाल, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
4. शिवराज आ. नन्दकिशोर, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
5. हनुमन्त आ. नन्दकिशोर, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
6. जितेन्द्र आ. नन्दकिशोर, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
7. प्रमोद आ. नन्दकिशोर, जाति माली,
   निवासी ग्राम छत्रपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री कपिल सैनी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2025 (मिसल संख्या 746/2025) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 42/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/118 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा सं. 439 पर अतिचार किया जाना अंकित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 02.5.25 जारी किया गया। अपीलांटस को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांटस द्वारा दिनांक 06.05.2025 को जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि नोटिस में वर्णित राजकीय सिवायचक भूमि अथवा रास्ते की भूमि के किसी भाग पर अपीलांटस का कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही कभी भविष्य में कब्जा करने की मंशा रही है। अपीलांटस ने उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, जिस कारण प्रस्तुत कार्यवाही अपीलांटस के विरूद्ध ड्रोप फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा भूमि खसरा संख्या 445 व 439 की भूमि पर सरसरी तौर से बिना अपीलांटस मौजूदगी में सीमाज्ञान किया गया, जबकि किसी भी भूमि का सीमाज्ञान एक निर्धारित बिन्दू से किया जाता। कर्मचारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की नीयत से असत्य तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट पर बिना जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांटस द्वारा जवाब पेश करने के दौरान अपीलांटस को आगामी पेशी की कोई सूचना नहीं दी तथा कहा कि आपके जवाब के आधार पर कार्यवाही को ड्रोप कर दिया जावेगा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये अपीलांटस की गैरमौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये गये कि नोटिस प्राप्तकर्ता गणेश आ. नन्दकिशोर का देहान्त हो गया था। मृतक के कायम मुकामान की जानकारी देने के उपरान्त भी मृतक के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी भूल की है। अपीलांटस द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। वर्तमान में मौके पर रास्ता विद्यमान है। जिससे आस पास के समस्त खातेदार उपयोग उपभोग कर रहे है। अपीलांटस का अपने स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त है, इसके बावजूद अपीलांटस को जुर्माना एवं बेदखली की कार्यवाही से दण्डित किया गया, जो विधिविरूद्ध है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.06.2025 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह गे.मु.रास्ते की सरकारी भूमि है, उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से आवन्टन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। जिस पर अपीलांटस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया। जिससे प्रकट हुआ कि अपीलांटस ने भूमि खसरा संख्या 439/2 रकबा 0.0538 हैक्टेयर किस्म गे0मु0रास्ता वाके ग्राम छत्रपुरा पर संवत् 2082 मौसम खरीफ में रास्ता अवरूद्ध कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को दिनांक 02.05.2025 को विधिवत नोटिस दिये गये, जिस पर अपीलांटस नियत पेशी दिनांक 06.05.2025 को अधीनस्थ

जिला कलक्टर बूंदी

न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया गया। अपीलांटस की ओर से उक्त रास्ते की सिवायचक भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांटस ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह **गे.मु. रास्ता** किस्म की सिवायचक भूमि है, उक्त सरकारी भूमि पर अपीलांटस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्टन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है तथा **सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है**, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर: बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)